



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर – 470003 (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR – 470003 (M.P.)

(A Central University)

fo@dhsu.edu.in, www.dhsu.ac.in

(Ph.) 07582 – 265228 (Fax) 07582 – 264236

No.: Fin./2022-23/1876

16 February 2023

परिपत्र
आ.न.आ.व.प्र.प्र.

01 March 2023

विषय: भुगतान हेतु समय पर बिल प्रस्तुत करने के संबंध में—

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों/अनुभागों/शाखाओं द्वारा भुगतान हेतु समय से प्रस्ताव/नस्तियां प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं, जबकि उन्हें बजट का आवंटन-पत्र निर्गत किया गया है।

सभी के संज्ञान में पुनः यह लाया जाता है जीएफआर 2017 के नियम 62(3) के अनुसार “Rush of expenditure, particularly in the closing months of the Financial year, shall be regarded as a breach of financial propriety and shall be avoided.”। उक्त नियम के आलोक में बजट आवंटन के साथ विश्वविद्यालय के वित्त कार्यालय ने विस्तृत गाइडलाइन्स जारी की थी कि आवंटित बजट को प्रत्येक तिमाही में बराबर-बराबर व्यय कराया जाये।

पुनः आग्रह है कि प्रत्येक विभाग/कार्यालय/अनुभाग/शाखा उक्त का पालन अपने स्तर से सुनिश्चित कराने का कष्ट करे और भुगतान हेतु नस्तियां/प्रस्ताव (Files/proposal) समय पर प्रस्तुत कराये जायें, ताकि बजट का उपयोग नियमानुसार हो सके और भुगतान समय पर किये जा सकें, साथ ही वित्त मंत्रालय/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

आदेशानुसार

17-02-2023

वित्ताधिकारी

प्रतिलिपि:—

1. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/निदेशक/यंत्री/अधिकारी/प्रभारी/अनुभाग अधिकारी।
2. कुलपति जी के निजी सचिव के माध्यम से कुलपति जी को सूचनार्थ।
3. कुलसचिव जी को सूचनार्थ।
4. सभी सम्मानित शिक्षकगण।
5. सभी सम्मानित अधिकारीगण।
6. सभी सम्मानित कर्मचारी बंधु।
7. Web Cell - वि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु